राजस्व वाद संख्याः– 92/2023
बेदकोर बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 13.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 92/2023

बेदकोर यादव पत्नि सज्जन सिंह यादव जाति अहीर(यादव) निवासी सिहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

– प्रार्थी

बनाम

1. धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. एक्सिस बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1)
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनयम</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक –13.10.2023

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि आवेदिका खेत खसरा न0 46 रकबा 1.46 है0 वाके मौजा अमरपुरा कलां में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रेक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत अनावेदक नम्बर 01 के खेत ख0न0 154/48 रकबा 0.41 है0 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की और 11 फुट चौड़ा रास्ता ख0न0 46 रकबा 1.46 है0 में जाने के लिये नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की और से श्री अमित राव एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की और से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

हस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/576 दिनांक 04.09.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ख0न0 46 में पूर्व में कोई कटानी रास्ता नहीं है एवं ना ही कोई प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद है । नया रास्ता कायम करने से ख0 न0 154/48 रकबा 0.41 है0 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दिखाये अनुसार बिन्दु A से B तक 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। बिन्दु A से B तक की लम्बाई 93 मीटर है। इस प्रकार बिन्दु A से B तक रास्ता दिये जाने पर 93X3=279 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जाती है। उक्त ख0न0 154/48 पर वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी की कृषि भूमि ख0न0 46 वाके स्थित ग्राम अमरपुरा कलां में न तो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की रिपोर्ट आयी है। भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2023 से प्रतीत होता है ख0न0 46 में आने जाने के लिए ख0 न0 154/48 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे के अनुसार 93X3=279 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2023 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0 न0 154/48 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे के अनुसार 93X3=279 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 92/2023
बेदकोर बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 13.10.2023

–:: आदेश::–

भूमि खेत खसरा न0 46 रकबा 1.46 है0 वाके मौजा अमरपुरा कलां तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2023 के अनुसार ख0न0 154/48 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे के अनुसार 93X3=279 वर्गमीटर नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है की वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर सम्बन्धित खातेदार को दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करें। भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ